28/6/24 पत्रावली पेश हुई। कोई व्यवस्थित नहीं आया। अभि पैरवी दिनांक 31.5.24, 11.6.24 एवं 25.6.24 को भी व्यवस्थित नहीं आया। पत्रावली एवं तलबी वकील को बार-बार आवाद लगवाई गई कोई हाजिर जवाब नहीं आया ना ही कोई व्यवस्था आदि। अतः पत्रावली 32-32 साल अधिक हो। हाजिरी व अपील पैरवी को व्यवस्थित उपाध्याय हो। अब्रण कैसल शुमार होकर सेलाम मूल वाद रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)